भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4040

30 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

बिल्डरों और डेवेलपरों के लिए विनियम

4040 श्रीमती सागरिका घोषः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 से अब तक, बिना बैरिकेडिंग वाले निर्माण स्थलों/जलभराव के कारण हुई निर्माण संबंधी हताहतों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2020 से अब तक, बिल्डर्स, डेवलपर्स, साइट सुपरवाइजर्स तथा केंद्र/राज्य प्राधिकरणों के विरुद्ध उल्लंघनों के लिए दर्ज मामलों और अभियोजनों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ग) उक्त मामलों में वर्ष-वार दोषसिद्धि दर क्या है;
(घ) लगाए गए जुर्मानों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) भवन कल्याण बोर्डों के समक्ष लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): सीपीडब्ल्यूडी और एनबीसीसी में 2020 के बाद से बिना बैरिकेडिंग साइटों/जलभराव से निर्माण संबंधी किसी भी मौत की सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (ङ): प्रश्न नहीं उठता।
